भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 70 पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions on Section 70 of the Indian Partnership Act, 1932)

धारा 70: शास्तियाँ (Penalties)

प्रश्न 1 (Question 1):

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 70 किससे संबंधित है?

(Section 70 of the Indian Partnership Act, 1932 deals with what?)

a) फर्मों का पंजीकरण (Registration of firms)

b) अ-पंजीकृत फर्मों के अधिकार (Rights of unregistered firms)

c) शास्तियाँ (Penalties)

d) साझेदारी का विघटन (Dissolution of partnership)

उत्तर (Answer): c) शास्तियाँ (Penalties)

स्पष्टीकरण (Explanation): धारा 70 विशेष रूप से अधिनियम के तहत निर्धारित कर्तव्यों का पालन न करने के लिए शास्तियों से संबंधित है।

(Section 70 specifically deals with penalties for non-compliance with duties prescribed under the Act.)

प्रश्न 2 (Question 2):

धारा 70 के तहत शास्तियाँ किस प्रकार के अपराधों के लिए लगाई जाती हैं?

(Penalties under Section 70 are imposed for what type of offences?)

a) केवल धोखाधड़ी के लिए (Only for fraud)

b) केवल चूक के लिए (Only for omissions)

c) जानबूझकर गलत विवरण या चूक के लिए (For willfully false statements or omissions)

d) कोई नहीं (None of the above)

उत्तर (Answer): c) जानबूझकर गलत विवरण या चूक के लिए (For willfully false statements or omissions)

स्पष्टीकरण (Explanation): धारा 70 उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो जानबूझकर किसी कथन या विवरण में गलत जानकारी देते हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाते हैं।

(Section 70 punishes individuals who willfully make false statements or omit material facts in any statement or declaration.)

प्रश्न 3 (Question 3):

यदि कोई व्यक्ति भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रयोजनों के लिए किसी भी कथन में जानबूझकर कोई गलत विवरण देता है, तो उसे किस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है?

(If a person willfully makes any false statement in any statement for the purposes of the Indian Partnership Act, 1932, under which section can they be punished?)

A) धारा 69 (Section 69)

b) धारा 70 (Section 70)

c) धारा 71 (Section 71)

d) धारा 68 (Section 68)

उत्तर (Answer): b) धारा 70 (Section 70)

स्पष्टीकरण (Explanation): धारा 70 स्पष्ट रूप से ऐसे कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है।

(Section 70 explicitly provides for penalties for such acts.)

प्रश्न 4 (Question 4):

धारा 70 के तहत जानबूझकर गलत विवरण देने या महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाने पर अधिकतम कारावास की अवधि क्या हो सकती है?

(What is the maximum period of imprisonment for willfully making a false statement or omitting a material fact under Section 70?)

a) तीन महीने (Three months)

b) छह महीने (Six months)

c) एक साल (One year)

d) दो साल (Two years)

उत्तर (Answer): a) तीन महीने (Six months)

स्पष्टीकरण (Explanation): धारा 70 स्पष्ट रूप से कहती है कि ऐसे अपराध के लिए कारावास की अवधि तीन महीने तक हो सकती है।

(Section 70 clearly states that the imprisonment for such an offence may extend to three months.)

प्रश्न 6 (Question 6):

क्या धारा 70 के तहत कारावास और जुर्माना दोनों एक साथ लगाए जा सकते हैं?

(Can both imprisonment and fine be imposed simultaneously under Section 70?)

a) हाँ (Yes)

b) नहीं (No)

c) केवल कुछ मामलों में (Only in some cases)

d) न्यायालय के विवेक पर (At the discretion of the court)

उत्तर (Answer): a) हाँ (Yes)

स्पष्टीकरण (Explanation): धारा 70 कहती है कि अपराध करने वाले व्यक्ति को या तो कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(Section 70 states that the person committing the offence may be punished with imprisonment, or with fine, or with both.)

प्रश्न 7 (Question 7):

धारा 70 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए कौन सी प्राधिकरण जिम्मेदार है?

(Which authority is responsible for prosecuting an offence under Section 70?)

a) केवल केंद्र सरकार (Only the Central Government)

b) केवल राज्य सरकार (Only the State Government)

c) रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी (Registrar or any other officer authorized by the State Government)

d) कोई नहीं (None of the above)

उत्तर (Answer): c) रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी (Registrar or any other officer authorized by the State Government)

स्पष्टीकरण (Explanation): अधिनियम आमतौर पर रजिस्ट्रार को ऐसे मामलों में कार्रवाई शुरू करने का अधिकार देता है, या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को।

(The Act generally authorizes the Registrar to initiate action in such matters, or any other officer authorized by the State Government.)

प्रश्न 8 (Question 8):

धारा 70 के तहत शास्ति का उद्देश्य क्या है?

(What is the purpose of penalty under Section 70?)

a) सरकार के लिए राजस्व जुटाना (To raise revenue for the government)

b) सार्वजनिक रिकॉर्ड में सत्यता सुनिश्चित करना (To ensure truthfulness in public records)

c) व्यापार को हतोत्साहित करना (To discourage business)

d) केवल अपराधियों को दंडित करना (To merely punish offenders)

उत्तर (Answer): b) सार्वजनिक रिकॉर्ड में सत्यता सुनिश्चित करना (To ensure truthfulness in public records)

स्पष्टीकरण (Explanation): धारा 70 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए गए सभी विवरण और जानकारी सत्य और सटीक हों, जिससे सार्वजनिक रिकॉर्ड में विश्वास बनाए रखा जा सके।

(The primary purpose of Section 70 is to ensure that all statements and information submitted under the Act are true and accurate, thereby maintaining confidence in public records.)

प्रश्न 9 (Question 9):

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में धारा 70 किस अध्याय में आती है?

(In which chapter does Section 70 fall in the Indian Partnership Act, 1932?)

a) अध्याय V (Chapter V)

b) अध्याय VI (Chapter VI)

c) अध्याय VII (Chapter VII)

d) अध्याय VIII (Chapter VIII)

उत्तर (Answer): c) अध्याय VII (Chapter VII)

स्पष्टीकरण (Explanation): धारा 70 भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अध्याय VII ("शास्तियाँ" - Penalties) के तहत आती है।

(Section 70 falls under Chapter VII ("Penalties") of the Indian Partnership Act, 1932.)

प्रश्न 10 (Question 10):

क्या धारा 70 के तहत अपराध एक संज्ञेय अपराध है?

(Is an offence under Section 70 a cognizable offence?)

a) हाँ (Yes)

b) नहीं (No)

c) केवल कुछ मामलों में (Only in some cases)

d) यह अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं है (It is not specified in the Act)

उत्तर (Answer): b) नहीं (No)

स्पष्टीकरण (Explanation): भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत अपराध आमतौर पर गैर-संज्ञेय होते हैं, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती है।

(Offences under the Indian Partnership Act are generally non-cognizable, meaning the police cannot arrest without a warrant.)